संख्या-36/2015/ 1700 /एक-4-15-25बी-4/15

प्रेषक,

शम्भू दयाल त्रिपाठी ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त् एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।

2- जिलाधिकारी,
चन्दौली, गाजीपुर, आजमगढ, मथुरा, ललितपुर, मैनपुरी, चित्रकूट,
शामली, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर तथा लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 15 अक्टूबर, 2015**

विषय:-नवसृजित तहसीलों में उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों द्वारा शासकीय कार्य में प्रयोग किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में नये शासकीय वाहनों के क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-जी-340/12-19सी/2009 (वाहन), दिनांक 02;09;2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में नवसृजित तहसीलों 1-मुगलसराय (चन्दौली) 2-कासिमाबाद (गाजीपुर) 3- सैदराई (गाजीपुर) 4-गोवर्धन (मथुरा) 5- पाली (ललितपुर) 6-मंडावरा (ललितपुर) 7-घिरौर (मैनपुरी) 8-ऊन (शामली) 9-सिरसागंज (फिरोजाबाद) 10-मैथा (कानपुर देहात) 11-नरवल गांव (कानपुरनगर) 12-सरोजनीनगर (लखनऊ) 13-मानिकपुर (चित्रकूट) 14-राजापुर (चित्रकूट) 15- मार्टिनगंज (आजमगढ) के उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों द्वारा शासकीय कार्य में प्रयोग किये जाने हेतु 30 नये वाहन टाटा सूमो गोल्ड प्रति वाहन मूल्य रू0-5,37,969/- की दर से कुल रू0-1,61,39,070/- (रूपये एक करोड इकसठ लाख उनतालिस हजार सत्तर मात्र) की स्वीकृति अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053 जिलाप्रशासन आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-14 मोटर गाडियों का क्रय मद से किये जाने तथा उक्त हेतु धनराशि रू0-1,61,39,070/- (रूपये एक करोड इकसठ लाख उनतालिस हजार सत्तर मात्र) की धनराशि अनुदान संख्या-50लेखाशीर्षक 2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03 कलेक्टरी स्थापना-01 वेतन मद में होने वाली बचतो से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त व्यय वित्तीय नियम संग्रह के सुसंगत क्रय नियमों एवं मितव्ययिता सम्बंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा। वाहन के सापेक्ष शासन अथवा अन्य स्रोत से पूर्व में किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(2) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत अनुदान संख्या -50 के अर्न्तगत जिला प्रशासन के लिए वाहनों की मद से ही क्रय किया गया हो। धनराशि का उपयोग केवल वाहन के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही किया जायेगा तथा वाहन का क्रय निर्धारित प्रक्रिया एवं सुसंगत

क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सूक्ष्म तथा लघु उद्योग विभाग व राजस्व विभाग में निर्धारित नीति के अनुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट पर किया जायेगा। उल्लिखित वाहन क्रय करने के पश्चात धनराशि अवशेष बचती है तो उसे कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) शासन द्वारा जिस प्रकार के वाहन के क्रय की अनुमति या स्वीकृति प्रदान की गई है, उसी प्रकार के वाहन को क्रय करके शासन को एक माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात ही संबंधित जनपद को अन्य वाहन स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा। नये वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर अनुबंध पर राज्य के अन्दर आथराइज्ड डीलर से नियमानुसार किया जायेगा, जिसको संबंधित जिलाधिकारी स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक -2053-जिला प्रशासन -आयोजनेत्तर -093-जिला स्थापनाएं -03-कलेक्ट्री स्थापना -14-मोटर गाडियों का क्रय मद के अन्तर्गत संलग्नक-1 (बी0एम0-9) में उल्लिखित मानक मदों के सम्मुख हो रही बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा ।

3- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-1228(1)/दस-2015, दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शम्भू दयाल त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।

संख्या-36/2015/1700 (1)एक-4-15-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (प्रथम),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी चन्दौली, गाजीपुर, आजमगढ, मथुरा, ललितपुर, मैनपुरी, चित्रकूट, शामली, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर तथा लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-5
4- वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-2।
5- राजस्व अनुभाग-6
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

http://rsanadesh.up.nic.in

htpp:shasanadesh.up.nic.in